



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भा—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii)

PAR—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUSHED BY AUTHORITY

सं. १]

No. १]

नई दिल्ली ध्वारा, जनवरी १, २००३/पौष ११, १९२४

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 2003/PAUSA 11, 1924

वार्ताज्य एवं प्रेषण पंत्रालय

(वार्ताज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, १ जनवरी, २००३

का.आ. १(अ)।—केन्द्र सरकार चाय अधिनियम, १९५३ (१९५३ का २९) की धारा ३० की उपधारा (३) और उपधारा (५) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऐसे अधिक्रमण से पहले इस संबंध में किए गए अधवा करने से रह गए कार्यों को छोड़कर चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, १९८४ का अधिक्रमण करके एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

१. सक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) इस आदेश का नाम चाय (वेपणन) नियंत्रण आदेश, २००३ है।
- (ii) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

२. परिभाषाएं

इस आदेश में जब तक संदर्भानुसार अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) “अधिनियम”से चाय अधिनियम, १९५३ अभिप्रेत है;
- (ख) “बोर्ड”से अधिनियम की धारा ४ के अधीन स्थापित चाय बोर्ड अभिप्रेत है।
- (ग) “अध्यक्ष” से चाय बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष की शक्तियों का तत्समय प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति भी है;
- (घ) “कैलेण्डर वर्ष”से उस वर्ष पहली जनवरी से प्रारंभ होकर ३१ दिसम्बर को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;
- (ङ.) “प्रस्तुत”से इस आदेश से संलग्न कोई प्रस्तुत अभिप्रेत है;

(च) "लाइसेंस" से इस आदेश के पैरा 9 के अधीन यो ग्राहक अभिप्रेत है;

(छ) "लाइसेंसधारी" से इस आदेश के अधीन यो भर्त लाइस का धारक अभिप्रेत है;

(ज) "लाइसेंसप्राप्तिकारी" से अधिक अभिप्रेत है;

(झ) "विनिर्माता" से संबद्ध कारखाने के मालिक, क्रीड़ती कारखाने और कोपरेटिव कारखाने सहित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वाणिज्यिक रूप चाय के नाम से ज्ञात किसी उत्पाद का विनिर्माण करता है जिसे कमेलिया सिनेसिस (एल) कुट्टजे की पत्रियों से बनाया जाता है और/अथवा जो चाय के मूल्यवर्धित उत्पादों पैसे पैकोट टी बैग, इन्स्टेंट टी, ग्रीन टी, फ्लैवर्ड टी और विविध ब्रैविंग ब्लैक टी का उत्पादन करता है;

(झ) "चाय नीलामी का अध्येतर" से अभिप्रेत है व व्यक्ति, निगमित निकाय को आपरेटिव औपचार्यी या अन्य रूप से नियुक्त हो या न हो, जिसने तरणधार के अधीन चाय की नीलामियों होती है;

(झ) "रजिस्ट्री प्राप्तिकारी" से अधिक अभिप्रेत है;

(झ) "रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता" से इस आदेश के पैरा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता अभिप्रेत है;

(झ) "क्रेता" से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी, नियमित निकाय, कोआपरेटिव सोसाइटी आदि अभिप्रेत है जिसके पास भारत में चाय के व्यापार का कोई स्थान है, जो सार्वजनिक चाय नीलामियों से अथवा चाय विनिर्माताओं से संबंधित चाय के मूल्यवर्धित उत्पादों सहित चाय खानीदने का कार्य करता है;

(झ) "चाय पत्री" से कमेलिया सिनेसिस(एल) यो कुट्टजे की पत्री अभिप्रेत है और इसमें कमेलिया सिनेसिस (एल) ओ कुट्टजे के पौधे के कोमल तन और कलियां शामिल हैं;

(झ) "चाय उत्पादक" से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा निगमित निकाय अथवा कोआपरेटिव सोसाइटी अभिप्रेत है जो चाय के पौधों की खेती करता हो;

(त) "बागान जिला" से किसी यिन औमोलिक केन्द्र अभिप्रेत है जहाँ यथा परियाधित काफी मात्रा में चाय के पौधों की खेती की जाती है और वह टी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(थ) "क्रीत चाय पत्री कारखाना" से कोई ऐसा चाय कारखाना अभिप्रेत है जो चाय के विनिर्माण के मान्यताप्राप्त किसी कौहनकर्व के दौशन दूसरे चाय उत्पादकारियों से अपनी चाय पत्री की उत्पादकता का दो सिल्वर से कम प्राप्त न करता हो;

(द) “पैकेट टी” से इकाई पैकेट/अथवा इस प्रकार के काटेनरों में पैक की हुई चाय अभिप्रेत है जो साधारणतः किसी ब्रांड के नाम के अंतर्गत परवून विक्री के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं;

(ए) “टी बैग” से गरम अथवा ठंडे पानी में ऐसे बैग को सीधा चुब्बोफर चाय का बांधी तैयार करने के लिए फिल्टर बैंडर, नायलोन नेट और अथवा अंतर्राष्ट्रीय भाष्टंडों और मानकों के अनुसूच्य अन्य किसी स्वीकार्य सामग्री से बने बैगों और जो वाणिज्यिक रूप से चाय बैग के रूप में ज्ञात हो, में भी हुई चाय पैकेट से है;

(न) “ग्रीन टी” से ग्रीन टी के रूप में वाणिज्यिक रूप से ज्ञात विनिर्मित चाय की किसी अभिप्रेत है;

(ष) “विविक ड्रेविंग ब्लेक टी” से वाणिज्यिक तौर पर चाय के रूप में ज्ञात ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें चाय का सत्त्व/अथवा सामग्री 20% (अधिकतम) से कम न हो तथा काले रूप में विनिर्मित चाय 80% (अधिकतम) से अधिक न हो तथा गर्म अथवा ठंडे पानी में चाय का पानी तैयार करने के लिए प्रयुक्त खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अनुसूच्य हो;

(८) “इन्स्टेंट टी” से चाय, अपस्टिट और चाय पसी के जलीय सत्त्व से तैयार उत्पाद से है जो वाणिज्यिक रूप से इन्स्टेंट टी के नाम से जाने जाते हैं;

(ब) चूजिस्ट्रीकृत क्रेस्टा से इस आदेश के पैकाग्राम 3 के अधीन पंजीकृत कोई क्रेस्टा अभिप्रेत है;

(भ) दलाल से लाइसेंस युक्त नीताभी प्रणालियों के जरिए चाय में दलाली के व्यवसाय में कार्यकृत और इस आदेश के पैकाग्राम 7, 8, 10 और 11 के अंतर्गत लाइसेंस शुद्ध कोई व्यक्ति एवं नीताभी विनिर्मित निषमय के आपरेटिव सोसाइटी अभिप्रेत हैं;

(म) “मेड टी” से समय-समय पर दबा संशोधित खाद्य अपमिश्रण नियारण अधिनियम 1954 (1954 का 37) अथवा उस समय के लिए दबा कोई अन्य के अधीन निर्धारित चाय की विनिर्मित सामग्री के अनुसूच्य चाय अभिप्रेत है;

वाक्य की विनिर्मित चाय विनियोगक्रम

- 1) कोई भी विनियोग, उपयोगमित्य वा अपने द्वारा विनियोग अस्वेक कारत्वाने की जावत इस आदेश के अधीन विनियोग रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए बिना सरकारी संघरणों में इस आदेश के प्रकारकरण वाले तात्पर्य के लाद चाय विनियोग करने का किलाकलाप नहीं उपर्योग।

बशर्ते वह विनिर्माता जिसने चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 1984 के प्रावधान के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पहले ही प्राप्त कर लिया हो इस आदेश के प्रावधान के अंतर्गत रजिस्टर्ड समझा जाएगा और उन्हें तदनुसार टी बोर्ड को सूचित करना चाहिए;

- 2) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए वांछा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्री प्राधिकारी को प्रस्तुप 'क' में आवेदन करेगा ।
- 3) रजिस्ट्री प्राधिकारी, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, किसी आवेदक को रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार कर सकेगा और इस प्रकार पारित आदेश की प्रति उसे देगा ।

बशर्ते मनाही का ऐसा आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का भी एक अवसर प्रदान किया जाएगा ।

- 4) जहां रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को उप-पैरा 3 के अधीन नामंजूर नहीं किया जाता है तबां रजिस्ट्री प्राधिकारी आवेदक को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुप 'ख' में रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाणपत्र देगा ।
4. चाय के क्रेता का रजिस्ट्रीकरण- (1) कोई भी व्यक्ति इस आदेश के अंतर्गत प्राप्त विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण के अतिरिक्त टी बोर्ड द्वारा लाइसेंसशुदा किसी सार्वजनिक चाय नीलामी से अथवा चाय के विनिर्माता से सीधे सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के साठ दिन के बाद चाय की खरीद का कोई कार्यकलाप नहीं करेगा ।
- (2) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति प्रस्तुप 'ग' में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन करेगा ।
- (3) रजिस्ट्री प्राधिकारी अपने द्वारा लिखित कारणों की वजह से किसी आवेदक को रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार कर सकेगा और इस प्रकार पारित आदेश की प्रति उसे देगा ।

बशर्ते मनाही का ऐसा आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का भी एक अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(4) जहाँ रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को उप पैरा 3 के अधीन नामंजूर नहीं किया जाता है वहाँ रजिस्ट्री प्राधिकारी आवेदक को आवेदन की प्राप्ति से 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुप 'ख' में रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाणपत्र देगा ।

5. विनिर्माता/क्रेता के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण/निलंबन-(1) रजिस्ट्री प्राधिकारी विनिर्माता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निम्नलिखित एक अथवा अधिक आदारों पर रजिस्ट्रीकरण को रद्द अथवा निलंबित कर सकता है, अर्थातः-

- (क) विनिर्माता द्वारा कारबार बन्द कर दिए जाने पर;
- (ख) विनिर्माता द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करते समय या बाद में किसी तथ्य का दुर्ब्यपदेशन करने पर;
- (ग) विनिर्माता द्वारा अधिनियम अथवा इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किए जाने पर;
- (घ) रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर;
- (ङ.) यदि रजिस्ट्री प्राधिकारी के पास उचित जांच करने के पश्चात यह विश्वास करने का कारण है कि विनिर्माता चाय में चाय अपशिष्ट और/अथवा अन्य कोई गैर अनुमत बाहरी पदार्थ का अपमिश्रण कर रहा है और चाय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत निर्धारित विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप नहीं है ।
- (च) यदि रजिस्ट्री प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कारखाना भवन, मशीने अथवा उपकरण अथवा किसी चाय कास्खाने के प्रधालन का तरीका समय समय पर लागू मानदंडों और मानकों के अनुरूप मेड टी के विनिर्माण के अनुकूल मानक और क्षमता का नहीं है ।

- (2) रजिस्ट्रीकरण के निलंबन/रद्दकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उसमें ऐसे निलंबन/रद्दकरण के कारण विनिर्दिष्ट होंगे और इसे रजिस्टर्ड विनिर्माता को तुरंत अथवा ऐसा आदेश पारित करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर भेजा जाएगा ।

(6) क्रेता के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण/निलंबन—(1) रजिस्ट्री प्राधिकारी क्रेता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निम्नलिखित एक अथवा अधिक आधारों पर रजिस्ट्रीकरण को रद्द अथवा निलंबित कर सकता है, अर्थात्

- (क) विनिर्माता द्वारा कारबार बन्द कर दिए जाने पर;
- (ख) विनिर्माता द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करते समय या बाद में किसी तथ्य का दुर्ब्यापदेशन करने पर;
- (ग) विनिर्माता द्वारा अधिनियम अथवा इस आदेश के किसी उपलब्ध का उत्पादन किए जाने पर;
- (घ) रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर;
- (ङ.) यदि रजिस्ट्री प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि क्रेता ऐसे अनुचित व्यापार कार्यों में अंतर्गत है जिनसे सार्वजनिक चाय नीलाभी प्रणाली सहित विपर्यन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव फ़ड़ सकता है।

(2) रजिस्ट्रीकरण को निलंबित/रद्द करने वाला प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उसमें निलंबन/रद्दकरण के लिए कारण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा रजिस्टर्ड क्रेता को तुरंत अथवा ऐसा आदेश पारित करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर भेजा जाएगा।

7 मासिक विवरणियां—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता रजिस्ट्री प्राधिकारी को ग्राम्य ड. में एक मासिक विवरणी और ऐसी अन्य जानकारी देगा जो रजिस्ट्री प्राधिकारी, विशेष या साधारण आदेश द्वारा समय समय पर मांगे।

(2) प्रत्येक रजिस्टर्ड क्रेता रजिस्ट्री प्राधिकारी को ग्राम्य च. में मासिक विवरणियां और अन्य सूचना भेजेगा जिसे रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा समय समय पर मांगा जाए।

(i) शिक्षणीय काय सुदा समझ- (1) प्रत्येक रजिस्टर्ड विभिन्नता जो अन्य उपचर कर्तामानों से चाय यन्ती संस्थाने का व्यापार करता हो उसकी प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित रजिस्टर्ड उपचर और उसकी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारों को ऐसी सभी सूचना प्रस्तुत करेगा जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा मांगी जाए ।

(2) प्रत्येक लाइसेंस सुदा दलाल/नीलमी का आयोजन लाइसेंस प्राधिकारी को चाय विभिन्निट लक्षिके से कोई विवरणी अथवा अन्य ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा मांगी जाए ।

(3) चाय नीलमी के आयोजक द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना- चाय नीलमी का कोई आयोजक इस आदेश के उपर्यों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त किए बगैर अपने नियंत्रण अथवा तत्पत्तान में सार्वजनिक चाय नीलमियों के व्यवसाय का आयोजन प्रबंधन अथवा संचालन नहीं करेगा ।

(4) उक्त नीलमी को ऐसे आयोजक को इस आदेश के उपर्यों के अंतर्गत लाइसेंस सुदा समझा जाएगा जिसने चाय (विधान) नियंत्रण आदेश, 1934 के उपर्यों के अंतर्गत पहले ही लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो और वे टी बोर्ड को तदनुसार सूचित करेंगे ।

(5) चाय नीलमी के दलाल द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना- कोई व्यक्ति इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त किए बगैर सार्वजनिक चाय नीलमियों में चाय के दलाल का व्यवसाय नहीं करेगा ।

उक्त चाय दलाल ने चाय (विधान) नियंत्रण आदेश 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत पहले ही लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, उसे इस आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत लाइसेंस सुदा समझा जाएगा और वे टी बोर्ड को तदनुसार सूचित करेंगे ।

11. लाइसेंस के लिए आवेदन- पैराग्राफ 9 और 10 में उल्लिखित लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन लाइसेंस प्राधिकारी को प्रारूप घ में प्रस्तुत किया जाएगा ।
12. लाइसेंस का दिया जाना या नामंजूर किया जाना-(1) लाइसेंस अधिकारी लिखित कारणोंवश किसी आवेदक को लाइसेंस जारी करने से इनकार कर सकेगा और ऐसे पारित आदेश की प्रति उसे देगा ।

बशर्ते नामंजूरी का आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाएगा ।

- (2) जहां लाइसेंस के आवेदन को पैराग्राफ 12(1) के अधीन नामंजूर नहीं किया जाता है वहां लाइसेंस प्राधिकारी प्रारूप (ज) में उसे लाइसेंस जारी करेगा ।
- (3) सार्वजनिक चाय नीलामी के आयोजक के कारबार के लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदक लाइसेंस के अपने आवेदन के साथ लाइसेंस प्राधिकारी को निम्नलिखित सामग्री प्रस्तुत करेगा:-

◆

- (i) आयोजक के क्रियाकालापों/कार्यों को शासित करने वाले नियम (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों)
- (ii) अपनी प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम और पते (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों)
- (iii) ऐसी प्रबंध समितियों के निर्णयों को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम पदनाम और पते,
- (iv) इसके नियंत्रण अथवा तत्वाधान में आयोजित ऐसी सार्वजनिक चाय नीलामियों के संचालन को शासित करने वाले नीलामी नियम (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों)
- (v) ऐसी सार्वजनिक चाय नीलामियों के साथ सहबद्ध दलालों के नाम और पते, और
- (vi) ऐसे अन्य विवरण जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय समय पर मांगे जाएं ।

13. निर्देश जारी करना—(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस की विधिमान्य अवधि के दौरान किसी समय चाय नीलामियों के आयोजकों/दलालों को व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से निर्देश जारी कर सकता है।

(क) यदि लाइसेंस प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का लाइसेंस दिया गया नीलामियों का आयोजक अपने नियंत्रण या तत्वाधान के अधीन हुई सार्वजनिक चाय नीलामी के संचालन में या उसके संबंध में कदाचारों में लिप्त है अथवा उनमें लिप्त होने की संभावना है।

(ख) सार्वजनिक चाय नीलामी पद्धति की कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए।

(ग) देश के विभिन्न भागों में हुई सार्वजनिक चाय नीलामियों की प्रक्रिया में एक रूपता लाने के लिए;

और ऐसे निर्देशों की प्राप्ति पर चाय नीलामी का प्रत्येक आयोजक उनकी प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर निर्देशों को कार्यान्वित करेगी।

(2) लाइसेंस शुदा आयोजक के नियमों और विनियमों में दिए गए किसी प्रावधान के होते हुए भी लाइसेंस प्राधिकारी समय समय पर जारी निर्देशों से ऐसे नियमों और विनियमों का तुरंत अथवा यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अधिक्रमण हो जाएगा।

(3) रजिस्ट्री प्राधिकारी इस आदेश के उद्देश्यों का कार्यान्वयन करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत व्यवसाय से संबंधित किसी मामले के संबंध में रजिस्टर्ड विनिर्माताओं, रजिस्टर्ड क्रेताओं को समय समय पर व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से निर्देश जारी कर सकता है और ऐसे निर्देश प्राप्त होने पर प्रत्येक रजिस्टर्ड विनिर्माता/रजिस्टर्ड क्रेता रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्देशों का क्रियान्वयन करेगी।

14. लाइसेंस की विधिमान्यता की अवधि इस आदेश के अधीन जारी किया गया लाइसेंस यदि पहले रद्द न कर दिया गया हो तो कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर के दिन समाप्त होगा।

15. लाइसेंस का नवीकरण-(1) नीलामियों के दलाल अथवा आयोजक द्वारा इसके नवीकरण का प्रत्येक आवेदन लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुप 'ज्ञ' में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी उसे दिए गए आवेदन के बाद और इस आदेश के अन्य उपबंधों के अध्यधीन लाइसेंस का नवीकरण करेगा और प्रस्तुप 'ज्ञ' में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) लाइसेंस के नवीकरण का प्रत्येक आवेदन ऐसे मामलों को छोड़कर जहां लाइसेंस उस कैलेण्डर वर्ष की एक दिसम्बर की तारीख को या उसके बाद जारी किया गया हो, लाइसेंस प्राधिकारी को लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से पहले ऐसी अवधि में प्रस्तुत किया जाएगा जो तीस दिन से कम न हो ।

16. लाइसेंस पर हस्ताक्षर किया जाना/रजिस्ट्रीकरण इस आदेश के अधीन जारी अथवा अन्यकृत प्रत्येक लाइसेंस और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रदान किया गया प्रत्येक प्रकाशपत्र यथास्थिति लाइसेंस प्राधिकारी अथवा रजिस्ट्री प्राधिकारी अथवा लाइसेंस प्राधिकारी/रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा यह कार्य करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

17. फीस- प्रत्येक आवेदक लाइसेंस जारी करने/उसके रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे विनिर्दिष्ट फीस भरेगा:-

लाइसेंस जारी करने के लिए -	5000/-
रजिस्ट्रीकरण के लिए -	5000/-
लाइसेंस के नवीकरण के लिए	1000/-

18. लाइसेंस की शर्तें-(1) इस आदेश के अधीन जारी की गई या नवीकरण किए गए प्रत्येक लाइसेंस के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे उसमें नामित व्यक्ति के पक्ष में दिया गया है या नवीकरण किया गया है और किसी भी लाइसेंस का विक्रय या उसका अन्यथा अंतरण नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि कोई लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले कारबार के संबंध में कोई भागीदारी करता है तो वह इस बात को लाइसेंस प्राधिकारी की जानकारी में ऐसी भागीदारी करने के पंद्रह दिन के भीतर लाएगा और लाइसेंस को उपर्युक्त रूप से संशोधित करवाएगा ।

(3) जहां कोई भागीदारी की गई है वहां फर्म के सभी भागीदार और मूल लाइसेंसधारी लाइसेंस की शर्तों द्वारा आबद्ध होंगे ।

(4) यदि कोई भागीदारी विघटित हो गई है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे विघटन की तारीख के ठीक पहले भागीदारी है, ऐसे विघटन की रिपोर्ट लाइसेंस प्राधिकारी को उसके पंद्रह दिन के भीतर भेजेगा ।

(5) प्रत्येक लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत बार्ड के किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर निरीक्षण के लिए अपनी लाइसेंस पेश करेगा ।

(6) यदि लाइसेंस के चालू रहने के दौरान लाइसेंसधारी कोई ऐसी कार्यवाही करने का आशय रखता है जो आवेदन में की गई ऐसी विशिष्टियों में उपान्तरण के लिए अपेक्षा करती है जिनके आधार पर इस समय प्रवृत्त लाइसेंस जारी किया गया है तो वह उसे लाइसेंस प्राधिकारी की जानकारी में कम से कम पंद्रह दिन पहले लाएगा और अपने लाइसेंस को उपर्युक्त रूप से संशोधित करवाएगा तथा लाइसेंस में ऐसा संशोधन निःशुल्क किया जाएगा और संशोधित लाइसेंस, लाइसेंस के अंतर्गत आने वाली शेष अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा ।

(7) चाय भांडागारण (लाइसेंस) आदेश 1989 के अधीन लाइसेंस किसी भांडागार का कोई भी स्वामी निम्नलिखित के साथ कोई संव्यवहार नहीं करेगा-

(क) ऐसे विनिर्माता/क्रेता के साथ जो इस आदेश के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है किन्तु उसे इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या जिसका रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य नहीं रह गया है, या

(ख) किसी सार्वजनिक चाय नीलामी के किसी ऐसे दलाल या आयोजक के साथ जिसे इस आदेश के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है किन्तु उसने ऐसा नहीं किया है, या जिसका लाइसेंस विधिमान्य नहीं रह गया है ।

(8) कोई भी दलाल किसी ऐसे विनिर्माता/क्रेता के साथ जो इस आदेश के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है, किन्तु वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, या जिसका रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य नहीं रह गया है, चाय में कोई संब्यवहार नहीं करेगा ।

(9) कोई भी दलाल चाय नीलामी के किसी ऐसे आयोजक द्वारा, जिसके इस आदेश के उपबंधों के अधीन लाइसेंस प्राप्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है किन्तु उसने ऐसा लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है या जिसका लाइसेंस विधिमान्य नहीं रह गया है, संचालित या उसके नियंत्रण या तत्वावधान के अधीन हुई किसी सार्वजनिक चाय नीलामी में भाग नहीं लेगा ।

(10) सार्वजनिक चाय नीलामी का कोई भी आयोजक, अपने नियंत्रण या तत्वावधान के अधीन हुई सार्वजनिक चाय नीलामी में किसी अरजिस्ट्रीकृत विनिर्माता से चाय रखने के लिए लाइसेंस नहीं करेगा या किसी गैर लाइसेंस धारक अनरजिस्टर्ड क्रेता को अपने नियंत्रण या तत्वावधान के अधीन हुई सार्वजनिक नीलामियों का कारबार नहीं करने देगा ।

19. लाइसेंस को रद्द करना/निलंबन-(1) लाइसेंस प्राधिकारी किसी लाइसेंसधारी (चाय नीलामी के आयोजक/दलाल) को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निम्नलिखित आधारों में से किसी एक अथवा अधिक पर लाइसेंस को रद्द अथवा निलंबित कर सकेगा, अथवा जुर्माना, जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, लगा सकेगा, अर्थात्-

(क) दलाल द्वारा व्यवसाय को बंद करना;

(ख) नीलामी आयोजनों द्वारा कोई नीलामी बिक्री करने की जानबूझकर मनाही करना;

(ग) लाइसेंस प्राप्त करते समय अथवा इसके पश्चात आवेदक द्वारा किसी तात्त्विक तथ्य का मिथ्या निरूपण करना;

(घ) इस अधिनियम अथवा इस आदेश के किसी उपबंध का लाइसेंस धारी द्वारा उल्लंघन करना;

(d) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यातानिवारित समस्यादि के भीतर नीतामी आयोगिता करने के लिए निम्नों के संबंध में लाइसेंस प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करने में विफलता;

(e) समस्या, आकाशमीव निकाय के गठन, आकाशमीव निकाय के सदस्यों का नुसार, डोटिंग प्रक्रिया और सदस्यों के डोटिंग अधिकारों, वित्तीय एवं प्रशासनिक सामग्री इत्यादि के संबंध में नीतामी आयोजनाओं, नियमों और विनियमों के संबंध में साइरेंस प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करने में विफलता;

(f) यदि लाइसेंस प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी और किसी कार्य का अवन अथवा उपकरण अथवा प्रदालन का तरीका लाइसेंस अधिकारी द्वारा नियमित दिसानिर्देशों/मानदंडों के अनुकूल मानकों के अनुसार नहीं है ।

(2) किसी लाइसेंस को नियंत्रित/रद्द करने वाला प्रत्येक आदेश नियमित में होमा और उसमें ऐसे नियंत्रित/रद्द करने के कारण नियर्दिष्ट होंगे तथा ऐसे आदेश के प्रति होने के दृष्टि अन्य सात कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंसधारी को सूचित किया जाएगा ।

20. लाइसेंसधारी द्वारा लेखाओं को बनाए रखा जाना, प्रस्तुत करना आदि- रजिस्ट्री प्राधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी नियन्त्रित के संबंध में समय समय अर्थ किसी रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, रजिस्ट्रीकृत क्रेता, आय नीतामियों के अनुज्ञात आयोजक, दलाल को निवेद जारी कर सकेगा-

(क) उत्पादन क्रय/बिक्री, स्टाक निर्यात या उसके कारोबार से संबंधित ऐसी अन्य बातों के जो इस आदेश के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए सुरक्षित हों, अभिलेखों को बनाए रखने के संबंध में;

(ख) ऐसे प्रत्येक तथा रीति के संबंध में जिसमें ऐसे अभिलेख बनाए रखे जाएंगे; और

(ग) उसके कारोबार से संबंधित ऐसी लेखा-वहियों का जो निवेद में विनिर्दिष्ट हों, संबंधित अधिकारी के समक्ष निरीक्षण के लिए पेश करने के संबंध में ।

21. सार्वजनिक नीलामियों के मार्फत चाय का विक्रय-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, जैसा कि रजिस्ट्री प्राधिकारी के दिशानिर्देश द्वारा विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से और एक केलेप्डर वर्ष अथवा ऐसी अवधि में अपने द्वारा विनिर्मित चाय का ऐसा प्रतिशत जो समय समय पर निर्दिष्ट किया जाए, चाय नीलामी के ऐसे आयोजनों के जो इस आदेश के उपबंधों के अधीन ऐसा करने के लिए अनुमति किए गए हैं, नियंत्रण या तत्वाधान के अधीन हुई भारत में सार्वजनिक चाय नीलामियों की मार्फत विक्रय करेगा;

बशर्ते कि ऐसे प्रतिशत को केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है;

परंतु रजिस्ट्री प्राधिकारी किसी रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन पर यदि उसका समाधान हो जाता है कि इस आदेश के किसी उपबंध का पालन करने से किसी विनिर्माता को असम्यक कठिनाई होगी उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इस आदेश के किसी उपबंध की शिथिल कर सकेगा ।

(2) विनिर्माता द्वारा - निम्न के रूप में प्रत्यक्ष रूप से विषयन की गई किसी चाय:-

- (क) पैकेट चाय
- (ख) इन्स्टैंट चाय
- (ग) टी बैग्स
- (घ) एरोमेटिक चाय
- (ङ.) ग्रीन चाय और
- (च) विदेशों में नीलामियों के जरिए बेची गई चाय को छोड़कर विनिर्माताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्यातित चाय
- (छ) किंविक ब्लूइंग ब्लैक चाय
- (ज) आर्गनिक चाय

को इस आदेश के इस पैरा ग्राफ के प्रयोजनार्थ कुल उत्पादन की गणना करते समय छोड़ दिया जाएगा ।

22. क्रेता द्वारा चाय की खरीद-(1)प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत क्रेता इस आदेश के प्रारंभ की तारीख को अधिवा उससे चाय की उसकी सकल खरीद का ऐसे प्रतिशत, जिसे किसी केलेण्डर वर्ष में रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया जाए भारत मे सार्वजनिक चाय नीलामियों के मार्फत खरीद करेगा ।

बश्तै कि ऐसे प्रतिशत को केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो;

परंतु रजिस्ट्री प्राधिकारी किसी रजिस्ट्रीकृत क्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन पर यदि उसका समाधान हो जाता है कि इस आदेश के किसी उपबंध का पालन करने से किसी क्रेता को असम्भव कठिनाई होगी, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इस आदेश के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेंगे ।

(क) पैकेट चाय

(ख) इन्स्टैंट चाय

(ग) टी बैग्स

(घ) एरोमेटिक चाय

(ङ.) ग्रीन चाय

(च) विविक ब्रूइंग ब्लैक चाय और

(छ) आर्गनिक चाय

को इस आदेश के इस पैरा ग्राफ के प्रयोजनार्थ कुल उत्पादन की गणना करते समय छोड दिया जाएगा ।

23. सार्वजनिक नीलामी से बाहर चाय की बिक्री:- प्रत्येक सजिस्ट्रीकृत विनिर्माता जो नीलामी पद्धति के बाहर चाय की बिक्री करते हैं केवल सजिस्ट्रीकृत क्रेताओं को ही ऐसा कर सकते हैं और ऐसे सौदों के द्वारा की सूक्ष्म सजिस्ट्री प्राधिकारी को बिक्री होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर देनी होगी ।

24. अपील- कोई ऐसा व्यक्ति जो-

(क) सजिस्ट्रीकरण के किए जाने से इनकार करने या उसे रद्द/निलंबित करने वाले।
 (ख) लाइसेंस के जारी करने या नवीकरण करने से इनकार करने वाले; या
 (ग) लाइसेंस को रद्द/निलंबित करने वाले अथवा जुर्माना लगाने वाले किसी आदेश से व्यक्ति है ।

ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह लीक समझे ऐसे आदेश को पुष्ट कर सकेगी परिवर्तित कर सकेगी या उपलब्धित कर सकेगी ।

25. चाय विषयन संबंधी समिति का मठन- केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आदेश के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का मठन कर सकेगी और इससे संबंधित किसी प्रश्न को समिति की सलाह के लिए समय समय पर निर्दिष्ट कर सकेगी ।

26. आदेशों और निदेशों की तामील- इस आदेश के अधीन सजिस्ट्री प्राधिकारी या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश या निदेश को या तो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा अथवा व्यक्ति/कंपनी अथवा अन्य किसी सत्ता अर्थात् चाय नीलामी के आयोजक, चाय दलाल, चाय विनिर्माता, चाय क्रेता आदि को तामील किया जाएगा ।

(2) यदि कोई आदेश अथवा निदेश किसी व्यक्ति/कंपनी अथवा किसी अन्य सत्ता को तामील किया जाता है तो इसे उस व्यक्ति/कंपनी अथवा अन्य किसी सत्ता को वितरित करके अथवा देकर किया जाएगा ।

(3) यदि इसे इस प्रकार वितरित अथवा दिया नहीं जा सकता है तो इसे उस परिसर के बाहरी दरवाजे पर अथवा अन्य सुरक्षित हिस्से पर चिपका दिया जाएगा जिसमें वह व्यक्ति/कंपनी अथवा अन्य कोई सत्ता रहते हैं अथवा व्यवसाय करते हैं अथवा लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं और इसकी लिखित रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा पड़ोस में रहने वाले कम से कम दो व्यक्तियों की इस पर गवाही होगी ।

27. प्रवेश आदि की शक्ति-(1) रजिस्ट्री प्राधिकारी लाइसेंस प्राधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस नियमित निविर्दिष्ट रूप से लिखित में प्राधिकृत बोर्ड का कोई अधिकारी किसी भी समय किसी ऐसी किसी भूमि भवन परिसर या यानों में जिनमें रजिस्ट्री प्राधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में चाय का भंडारकरण किया जाता है, उसे ले जाया जाता है, उसे वितरित किया जाता है या उसका विक्रय किया जाता है, प्रवेश कर सकेगा और उनकी तलाशी ले सकेगा तथा किसी ऐसी चाय या चाय के उत्पाद को जिसके बारे में उसे यह प्रतीत होता है कि उसका इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में भंडारकरण किया गया है उसे ले जाया गया है, उसे वितरित किया गया है या उसका विक्रय किया गया है, अभिग्रहण कर सकेगी ।

(2) इस खड़ के अधीन कार्रवाई करने वाला कोई अधिकारी एक रिपोर्ट यथास्थिति रजिस्ट्री प्राधिकारी या लाइसेंस प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने के चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

(3) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1973 का 2) के उपर्युक्त जहाँ तक हो सके इस आदेश के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे ।

28. विनिर्माताओं/क्रेताओं द्वारा चाय के मानक का अनुपालन करना-(1) कोई भी विनिर्माता ऐसी चाय का विनिर्माण नहीं करेगा जो समय समय पर यथा संशोधित खाद्य अपमिश्रण नियारण अधिनियम 1954 अथवा उस समय के लिए लागू अन्य नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप न हों ।

(2) कोई क्रेता ऐसी चाय को नहीं खरीदेगा और/अथवा नहीं बेचेगा जो समय समय पर यथा संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 अथवा उस समय के लिए लागू अन्य नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित विनिर्दिष्ट लाभों के अनुरूप न हो ।

29. नमूने लेना- लाइसेंस प्राधिकारी/रजिस्ट्री प्राधिकारी नमूना लेने के लिए बोर्ड के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है जो कार्यकारी निदेशक के स्तर से कम का नहीं होगा और नमूने के तीन सैट लिए जाएंगे जिनमें प्रत्येक का भार 125 ग्राम से अधिक का नहीं होगा तथा इन नमूनों को विधिवत सील किया जाएगा तथा उक्त अधिकारी और संबंधित मालिक के प्रतिनिधियों तथा दो अन्य गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और ये जांच करने के लिए कि क्या नमूने समय समय पर यथा संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 तथा उस समय के लिए लागू किन्हीं अन्य नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप हैं या नहीं, विनिर्माता/क्रेता द्वारा रखे गए किसी भंडार से प्राप्त किए जाएंगे ।

30. उचित मूल्य का निर्धारण और इसका अनुपालन-(1) जब भी आवश्यक समझा जाए रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से अधिकार प्राप्त कोई अधिकारी आवधिक आधार पर चाय उपजकर्ताओं को देय चाय पत्ती के उचित मूल्य का निर्धारण करेगी ।

(2) चाय पत्ती के लिए उचित मूल्य का निर्धारण समय समय पर रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट सूची के अनुसार किया जाएगा और रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा

(3) रजिस्ट्री प्राधिकारी किसी दलाल, जिसके जरिए किसी विनिर्माता ने कोई मेड टी बेची है, को रजिस्ट्री प्राधिकारी अथवा रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित चाय पत्ती के उचित मूल्य और ऐसे विनिर्माता द्वारा खरीदी गई चाय पत्ती के लिए उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के बीच के अंतर के समान राशि को ऐसी बिक्री की प्राप्तियों से कम करने के निर्देश दे सकता है ।

(4) रजिस्ट्री प्राधिकारी किसी दलाल, जिसके जरिए विनिर्माता ने मेड टी बेची है और चाय पत्ती के लिए उचित मूल्य के भुगतान में विलंब किया है, को ऐसी बिक्री की प्राप्तियों से ऐसी चाय पत्ती के लिए रजिस्ट्री प्राधिकारी अथवा रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित उचित मूल्य के समान राशि कम करने के निर्देश दे सकता है।

(5) रजिस्ट्री प्राधिकारी किसी दलाल को रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तरीके और व्यक्ति को इस आदेश के इस पैराग्राफ के उप पैरा ग्राफों (3) और (4) के अंतर्गत इस प्रकार कम की गई राशि जमा करने के निर्देश दे सकता है।

(6) इस आदेश के इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (1) और (2) में उल्लिखित सूची के आधार पर चाय पत्ती के लिए उचित मूल्य निर्धारण के लिए रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी इस आदेश के इस पैरा ग्राफ के उप पैरा ग्राफ (3), (4) और (5) के अनुसार चाय पत्ती के लिए उचित मूल्य के भुगतान के अनुपालन को भी सुनिश्चित करेगा।

31 रजिस्ट्री/लाइसेंस प्राधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन रजिस्ट्री/लाइसेंस प्राधिकारी केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से विशेष आदेश द्वारा अपना कोई कार्य टी बोर्ड के किसी एक अथवा अधिक अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है।

प्र-रूप 'क'

(पैरा 3 (2) देखिए)

चाय (विषणन) नियंत्रण आदेश 2003 के पैरा 3 (2) के

अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

मूल/दूसरी प्रति

सेवामें

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी,
चाय बोर्ड, कलकत्ता।

महोदय,

मैं/हम चाय (विषणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के प्रयोजनों के लिए चाय विनिर्माता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

आवेदक विशिष्टियां निम्नलिखित प्रकार से हैं:-

(क) आवेदन का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
भागीदारी समूहान की दशा में सभी
भागीदारों के नाम दिये जाने चाहिए):

(ख) पूरा पता (जिस पर पत्र व्यवहार किया
जा सकता है)

(ग) विनिर्माण एककों के नाम और पते

(घ) राज्य और कालान जिलाः

(ङ) क्या एकक अपने बागानों में उगाई गयी
चाय का प्रसंस्करण करता है:

(च) क्या एकक क्रीत पती कारखाना या
सहकारी एकक है जिसकी अपनी कोई
सम्पदा नहीं है।

(छ) वार्षिक उत्पादन क्षमता :

(ज) यदि राज्य सरकार ने कारखाने के रूप में
रजिस्ट्रीकरण किया है तो रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
और तारीख :

(झ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जोन और रजिस्ट्रीकरण
संख्याक

(ज) विनिर्मित की गयी चाय के प्रकार का उल्लेख
करें।

(क) पैकेट चाय
(ख) चाय बैग
(ग) इन्स्टेट चाय
(घ) किंवक ब्रीविंग ब्लैक चाय
(ङ) कोई अन्य चाय

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

प्रारूप 'ख'

(पैरा 3 (4) देखिए)

चाय विनिर्माता के रूप में कारोबार करने के लिए
रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

अमृतसंतानराजीय

चाय (विषयन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 3(4) के अधीन जारी किया गया।

14 लिपलस्ट्री जैलमध्य महाराज सरसी

कलापालका-700 001

तारीख.....

राजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्याक.....

श्री/स्त्री/त्री को चाय (विषयन) नियंत्रण आदेश, 2003 के उपर्योग के अधीन पैकेट चाय/चाय के बैग/इंस्टैट चाय/विषयक ब्रींझ ब्लैक चाय के विनिर्माता के रूप में कारोबार करने के लिए प्राप्ति की जाती है।

यह प्रमाण पत्र तब तक विधि मान्य रहेगा जब तक वह चाय (विषयन; नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 4 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्ति कारी हारा दद नहीं कर दिया जाता।

अध्यक्ष
चाय बोर्ड
रजिस्ट्रीकरण प्राप्तिकारी

प्रारूप 'ग'

सेवार्थ,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

चाय बोर्ड, कलकत्ता

महोदय,

मैं/हम चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैराग्राफ 3 क(2) के अधीन चाय के ब्रेता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए आवदेन करता हूं।

आवश्यक विशिष्टयां निम्न प्रकार से हैं:-

- (1) आवेदक का नाम(स्पष्ट अक्षरों में), भागीदारी समूल्यान की दशा में सभी भागीदारों के नाम दिए जाने चाहिए)
- (2) रजिस्टर्ड कार्यालय का पता
- (3) शाखा कार्यालयों के पते
- (4) टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल सहित डाक का पता
- (5) केन्द्रीय और राज्य बिक्री कर रजिस्ट्रेशन नं.
- (6) क्या किसी नीलामी अर्गनाइजर के सदस्य हैं
- (7) चाय के प्रकार का उल्लेख करें
 - (क) बल्क में चाय
 - (ख) पैकेट चाय
 - (ग) चाय बैग
 - (घ) इन्स्टेंट चाय
 - (ड.) किवक ब्रिइंग ब्लैक चाय
 - (च) कोई अन्य चाय

मैंने/हमने चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया और समझ लिया है और उक्त आदेश के उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
भवदीय

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 'घ'

चाय के क्रेता के रूप में कारोबार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण
का प्रमाण पत्र

अहस्तांतरणीय

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा (4) के अधीन जारी किया गया।

14 लिपलणी जैलयय महाराज सारती

कोलकाता-700 001

तारीख.....

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्याक.....

श्री/सर्वश्री निवासी.....

.....को चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के उपर्याखों के अधीन बल्कि में चाय/पैकेट चाय/चाय के बैग/इंस्टैट चाय/विधिक श्रीइंग ब्लैक चाय/कोई अन्य चाय को क्रेता के रूप में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र तब तक विधि मान्य रहेगा जब तक वह चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा दद नहीं कर दिया जाता।

अध्यक्ष
चाय बोर्ड
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

प्रक्रम 'ठ' (पृष्ठ ७(1) दृष्टि(ग्य))

विनिर्माण द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मार्गिक विवरणी
2003..... के मास..... की विवरणी

1. विनिर्माण एकक का नाम
2. पता
3. विनिर्माण एकक के स्वामी का नाम
4. टीएमसीओ के आधीन चाय बोर्ड
का पंजीकरण सं.
5. बागा जिला
6. राज्य
7. केन्द्रीय उत्पाद शुक्रल जोन
8. केन्द्रीय उत्पाद शुक्रल जोन
9. टी.डब्ल्यू. सी.ओ के आधीन
चाय अपशिष्ट लाइसेंस सं.
10. उत्पादक संघ का नाम
जिसका सदस्य है
और सदस्यता सं. यदि
कोई है
11. वया परिसंपदा अथवा बोट
लौफ (को-पोरेटिव सहित)
फैक्टरी है।

12. फैक्टरी के परिसर में खुली
तथा उपग्रेडेटा पैकों में रखी
तैयार चाय का आदि स्टाक
(कि.ग्रा.में)

चाय के प्रकार	सी.टी.सी	परम्परागत	हरी	कार्बनिक	कुल
खुली					
पैकेट					

13. मास के दौरान हरी चाय के विवरण (आंकड़े कि.ग्र. में)

अपने बाग से प्राप्त की गयी मात्रा	बाहर से खरीदी की गयी मात्रा	खरीदी गई कुल मात्रा	चाय का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त की गयी मात्रा

14. मास के लिए प्रदत्त प्रति कि.ग्रा. औसत चाय की कीमत

15. माह के दौरान विनिर्मित चाय की मात्रा (हजार कि.ग्राम में)
(हरी चाय में से) जिसमें अपने बाग की चाय की पत्तियां तथा खरीदी गयी पत्तियां शामिल हैं।

..... माह के दौरान				जनवरी से)			
सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	कुल	सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	कुल

16. माह के दौरान उपभोक्ता पैकों में विनिर्भित चाय की मात्रा

माह के दौरान				जनवरी से)			
सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	कुल	सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	कुल

17. चाय अपशिष्ट के विवरण (आंकड़े कि.ग्रा. में)

आदि शेष	माह के दौरान सूजित मात्रा	माह के दौरान निपटाई गयी मात्रा	इति शेष

18. प्रदत्त उत्पदा शुल्क : प्रति कि.ग्रा. दर प्रदत्त कुल राशि

19. चाय अधिनियम, 1953 के : प्रति.कि.ग्रा.र प्रदत्त कुल राशि तहत प्रदत्त उपकर

20. अनैसर्गिक चा अपशिष्ट की बिक्री (आंकड़े कि.ग्राम.)

बेची गयी मात्रा	तारीख	चाय बोर्ड प्राधिकारी पत्र संख्या और तारीख	क्रेतारों के नाम तथा उनका चाय अपशिष्ट लाइसेंस नं.

21. चाय अपशिष्ट का विगुणन करना (आंकड़े कि.ग्राम में)

अविकृत की गई मात्रा	चाय बोर्ड प्राधिकारी पत्र संख्या और तारीख	वे नाम तथा पदनाम जिनके समक्ष सम्पन्न करना है।

22. अनैसरिक चाय अपशिष्ट की विक्री (कि.ग्रा. में)

बेची गयी मात्रा	तारीख	क्रत्ताओं के नाम

23. कम्पोस्ट के रूप में चाय अपशिष्ट का परिवर्तन

मात्रा	तारीख	चाय बोर्ड प्राधिकरण पत्र संख्या और तीरख	अधिकारी का नाम तथा पदनाम जिकसे समक्ष सम्पन्न करना है।

/ 24. चाय अपशिष्ट को नष्ट करना

मात्रा	तारीख	चाय बोर्ड प्राधिकरण पत्र संख्या और तीरख	अधिकारी का नाम तथा पदनाम जिकसे समक्ष सम्पन्न करना है।

25. ^{मासि} चाय के दौरान विक्री

क) नीलामी के दौरान

नाम	बेची गयी मात्रा (कि.ग्रा.)				
केन्द्र का नाम	सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी चाय	अन्य उत्स्तेख करें	कुल
कोलकाता					
गुवाहाटी					
सिलीगुड़ी					
अमृतसर					
कोचीन					
कूनूर					
कोयम्बटूर					
अन्य उत्स्तेख करें					
जोड़					

नीलामी-		उगाही गयी मात्रा (रु. कि.ग्रा.)						
केन्द्र का नाम	सी.एल.	सी.डी.	परम्परागत	परम्परागत पत्ती	हरी चाय	अन्य	विशेष	कुल
कोलकाता								
गुवाहाटी								
सिलीगुड़ी								
अमृतसर								
कोचीन								
कूदूर								
कोयम्बटूर								
अन्य								
उल्लेख करें								
जोड़								

(ख) प्रत्यक्ष निर्यात

चाय के प्रकार	मास के दौरान
खुली चाय	मात्रा (कि.ग्रा. में)	वसूल की गयी कीमत (रु.प्रति कि.ग्रा.)
पैकेट वाली चाय		
चाय बैग		

(ग) गैर-सरकारी बिक्री

चाय के प्रकार	मास के दौरान
खुली चाय	मात्रा (कि.ग्रा. में)	वसूल की गयी कीमत (रु.प्रति कि.ग्रा.)
पैकेट वाली चाय		
चाय बैग		

(घ) उपर्युक्ता पैकों में प्रत्यक्ष विपणन

चाय के प्रकार मास के दैरान	
खुली चाय	मात्रा (कि.ग्रा. में)	बसूल की गयी कीमत (रु.प्रति कि.ग्रा.)
पैकेट वाली चाय		
चाय बैग		

बेची गयी मात्रा का कुल जोड़ (क+ ख+ ग) =

(ड) कर्मचारियों को उपहार (कि.ग्रा. में)

26. माह के अंत में अंतिम/अनविका स्टॉक

चाय के प्रकार	सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	अन्य (विशेष)	कुल
खुली चाय					
पैकेट वाली चाय					
टी बैग					

धोषणा :

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विकरणी में दी गयी जानकारी जिसके अंतर्गत आंकड़े, भी हैं सही है और उसका सत्यापन अभिन्नेखों से किया जा सकता है।

स्थान:.....

हस्ताक्षर

तारीख:

प्राथिकृत प्रतिनिधि

“निर्देशाधीन मास के दैरान कारखाना पर जिन व्यक्तियों को चाय का विक्रय किया गया है उनके नाम और पते तथा विक्रय की गयी मात्रा और प्रत्येक व्यक्ति की वात ली गयी औसत कीमत को दाशाने वाली एक सूची संलग्न की जाएगी।

प्र रूप-ब
(पैराग्राफ 7(2) देखें)
क्रेता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी

माह..... हेतु विवरणी

1. फर्म का नाम
2. दूरभाष/फैक्स नं./
ई-मेल सहित पंजीकृत
कार्यालय का पता
3. शाखा कार्यालयों के पते
4. क्या नीलामी समितियों के
सदस्य हैं और यदि हाँ, तो
केन्द्रीका नाम
4. टी.एम.सी.ओ. के तहत चाय
बोर्ड की पंजीयन संख्या, यदि
कोई हो।
5. महीने के शुरुआत में गोदाम
में खुली तथा उपभोक्ता पैकों
में चाय की आरंभिक स्टॉक
(कि.ग्रा. में)

चाय के प्रकार	उत्तर (चाय कि.ग्राम में)					
	सी.टी.सी.	पराम्परागत	दार्जिलिंग	हरा	अन्य	कुल
खुली चाय						
पैकेट						
टी बैग						

6. निर्देशाधीन मास के दौरान खरीदी गयी चाय की मात्रा (कि.ग्रा. में) तथा औसत कीमत (रु/कि.ग्रा.)

चाय के प्रकार	सी.टी.सी.	परम्परागत	दार्जिलिंग	हरा	अन्य	कुल
	मात्रा कीमत					
खुली चाय						
पैकेट						
टी बैग						

7. मास के दौरान चाय पैकेट तथा चाय थैलियों में रुपांतरित चाय की मात्रा (कि.ग्रा.)

चाय के प्रकार	माह के दौरान		
	सी.टी.सी.	परम्परागत	हरा
पैकेट			
टी बैग			

8. मास के दौरान चाय का विपणन

(क) घरेलू बिक्री

चाय के प्रकार	मास के दौरान	
	मात्रा (कि.ग्रा.)	प्राप्त कीमत (प्रति कि.ग्रा. में)
खुली चाय		
पैकेट चाय		
टी बैग		

(ख) नियात

चाय के प्रकार	मात्रा (कि.ग्रा.)	माह..... के दौरान	मूल्य (रु.में)	ईकाई कीमत (१०० ग्र.)
खुली चाय				
पैकेट चाय				
टी बैग				

9. मास के शेष में अंतिम/अनन्बिका स्टॉक (कि.ग्रा. में)

चाय के प्रकार	सी.टी.सी	परम्परागत	हरी चाय	कुल
खुली चाय				
पैकेट				
टी बैग				

घोषणा :

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरणी में दी गयी जानकारी जिसके अंतर्गत आंकड़े भी हैं सही है और उसका सत्यापन अभिलेखों से किया जा सकता है।

स्थान:.....

हस्ताक्षर

तारीख:

प्राधिकृत प्रतिनिधि

*प्रत्येक सम्पदा/कारखाना के संबंध में खारीदी गयी मात्रा तथा औसत कीमत प्राप्तियों समेत निर्देशाधीन मास के दौरान नीमलामियों से बाह्य सम्पदाएं/क्रमपत्ती कारखाना जिनसे चाय खारीदी गयी थी के नाम तथा पते दर्शाने वाली सूची संलग्न की जायेगी ।

प्रारूप-छ

(पैरा 11 देखिये)

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 के पैरा 11 के अधीन लाइसेंस के लिए आवेदन

.... मूल/दूसरी प्रति

सेवामें,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,

चाय बोर्ड,

कोलकाता

महोदय,

मैं/हम नीलामियों में दलाल/चाय निलामियों के आयोजक के रूप में कारोबार करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

मैं/हम निम्नलिखित आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत करता हूं/करते हैं:-

1. आवेदक का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में
(भागीदारी समुत्थान की दशा में सभी
भागीदारों के नाम दिए जाने चाहिए)
2. पूरा पता (जिस पर पत्र व्यवहार
किया जा सकता है।
3. अपेक्षित लाइसेंस की प्रकृति - चाय
निलामियों में दलाल/निलामियों के
आयोजक के रूप में लाइसेंस
4. उस परिसर का पूरा नाम जिस
पर आवेदक कारोबार करना
चाहता है।
5. संदर्भ फीस की रकम

मैंने/हमने 'चाल(विषयन) नियंत्रण अधिकार, 2020' को समाजसेवी पूर्वक पहले लिया है और समझ लिया है तथा मैं/हम उक्त अधिकार के उपरांतों का पालन बरने के लिए सहमत हूं/हैं।

मानविकी

(असेटक/असेटकों के लकड़ी)

संस्कृतः

३५५

* जो लागू न हो उन्हें कट दीजिए।

टिप्पण - 1:- इस आवदेन पर, काम्पनी की दाता में काम्पनी के संविधान का लिखी गई वकृत अधिकता द्वारा उत्तर व्यापारीवाही समुदाय की दाता में व्यापीयों में से किसी एक द्वारा, हस्ताक्षर किए जाने चाहिए उत्तर व्यापीयों की दाता में, हस्ताक्षर के पश्चात “एकमात्र स्वार्थी” शब्द नहीं लिखा जाना चाहिए।

टिप्पणी-2: आवेदन लाइसेंसिंग प्राधिकारी के दो प्रतिवेदी में प्रस्तुत मिल्या जायेगा।

प्रृष्ठा 'ब'

पैरा 12 (2) (देखिये)

ज्ञाय नियामितों में इसलाल / ज्ञाय नियामितों के आयोजक के रूप में कारोबार करने के लिए लाइसेंस
आइस्टारणीय

ज्ञाय (विषय) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 12 (2) के अधीन जारी किया गया।

14 विपलवी तैलोक्य, महाराष्ट्र सारणी
कोलकाता-700 001

सारीख.....
लाइसेंस सं.....

“विपलवी” नियामी.....
.....को ज्ञाय (विषय) नियंत्रण आदेश, 2003 के उल्लंघों के अधीन के अनुसार ज्ञाय के व्यापकान्वित नियामितों में इसालाज्ञाय नियामितों के आयोजक के रूप में कारोबार करने के लिए आविष्कृत निया जाता है।

इह लाइसेंस 31 दिसम्बर.....तक विधि अन्वय है तथि इसे ज्ञाय (विषय) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 19 व्ये अधीन उपर लारीख के न्यून नियामित नहीं कर दिया जाता।

अध्यक्ष

ज्ञाय ओर्ड

नियंत्रण नियामी

“ओ” न्यून नहीं है इसको काट दीजिए।

प्रारूप-४

(पैरा 15(1) देखिये)

चाय (विषयन) नियंत्रण आदेश 2003 के पैरा 15(1) के अधीन
लाइसेंस के लिए आवेदन

.... मूल/दूसरी प्रति

सेवामें,

लाइसेंसिंग प्राधिकरी,
चाय बोर्ड,
कोलकाता

महोदय,

मैं/हम* दलाल, चाय निलामी आयोजक के रूप में अपनी लाइसेंस के नवीकरण
के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं। जो लाइसेंस संख्या..... के रूप में तारीख
..... को आपने जारी की थी।

मैं/हम* निम्नलिखित आवश्यक विविधियां प्रस्तुत करता हूं/करते हैं:-

1. आवेदक का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
(भागीदारी समृद्धान की दशा में सभी
भागीदारों के नाम दिए जाने चाहिए)
2. पूरा पता (जिस पर पत्र व्यवहार
किया जा सकता है।
3. अपेक्षित अनुशास्ति की प्रकृति
दलाल/निलामी आयोजक
4. उन विभिन्न परिसर के यादि कोई हैं,
पूरे पत्ते जिनमें आवेदक कारोबार करना
चाहता है।
5. संदत्त फीस की रकम

मैंने/हमने* चाय(विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा मैं/हम उक्त आदेश के उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

भवदीय
(आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्ष)

स्थानः

तारीखः

* जो लागू न हो उन्हें काट दीजिए।

टिप्पण - 1:- अनुज्ञापन प्राधिकारी को दो प्रतियों में भेजा जाए।

टिप्पण- 2: इस आवदेन पर, कम्पनी की दशा में कम्पनी के सचिव या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा और भागीदारी समृद्धयान की दशा में भागीदारों में से किसी एक द्वारा, हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और व्यष्टियों की दशा में, हस्ताक्षर के पश्चात “एकमात्र स्वामी” शब्द जोड़ दिया जाना चाहिए।

प्र रूप—‘अ

(पैरा 15(2) देखिये)

लाइसेंस के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

चाय बोर्ड

14, विष्णवी ब्रैलोक्य महाराज सारणी

कोलकाता-700 001

प्रमाणित किया जाता है कि त
दलाल, नीलामी आयोजक के रूप म
आदेश 2003 के उपर्युक्त
के लिए नवीकृत किया जाता है। यदि उक्त अनुशास्त चाय (एनएस),
2003 के पैरा 19 के अधीन उस तारीख से पूर्व निलंबित नहीं कर दी जाए।

तारीख:.....

स्थान:

लाइसेंसिंग प्राधिकारी,

[फा. सं. टी-12014/1/2002-बागान(क)]

एल.बी. सत्तनश्चि, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

CRDER

New Delhi, the 1st January, 2003

S.O. 1(E)—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (5) of section of 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) and in supersession of The Tea (Marketing) Control Order, 1984, except as respect things done or omitted to have been done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and Commencement—(1) This order may be called the Tea (Marketing) Control Order, 2003.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In this Order, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Tea Act, 1953;
- (b) “Board” means the Tea Board established under section 4 of the Act;
- (c) “Chairman” means the Chairman of the Tea Board and includes any person exercising for the time being the powers of the Chairman;
- (d) “Calendar Year” means a year starting from 1st day of January and ending on 31st day of December of that year.
- (e) “Form” means a form appended to this Order;
- (f) “Licence” means a licence granted under paragraph 12 of this Order;
- (g) “Licensee” means a holder of a licence granted under this Order;
- (h) “Licensing Authority” means the Chairman;
- (i) “Manufacturer” means any person, including the owner of Estate factory, Bought Leaf Factory and Co-operative factory who manufactures any product commercially known as tea derived from the leaves of the plant *Camellia Sinensis*

(L) O. Kuntze and/or who produces value added products of tea such as packet tea, tea bags, instant tea, green tea, flavoured tea and quick brewing black tea;

(j) "Organiser of tea auction" means any one including any person, corporate body, co-operative society or association, whether registered or not under whose control or auspices public auctions of tea take place;

(k) "Registering authority" means the Chairman;

(l) "Registered manufacturer" means a manufacturer registered under paragraph 3 of this Order;

(m) "Buyer" means any person, firm, company, corporate body, co-operative society etc., with a place of business in tea in India, engaged in purchasing tea including value added products of tea, either from public tea auctions or directly from manufacturers of tea;

(n) "Tea leaf" means the leaf of the plant *Camellia Sinensis* (L) O. Kuntze and includes tender stems and buds of the plant *Camellia Sinensis* (L) O. Kuntze;

(o) "Tea grower" means any person, firm, company or body corporate, or cooperative society engaged in cultivation of tea plants;

(p) "Plantation district" means a distinct geographical area where tea plants are cultivated on a large scale as defined and recognised by the Tea Board;

(q) "Bought leaf tea factory" means a tea factory which sources not less than two-thirds of its tea leaf requirement from other tea growers during any calendar year for the purpose of manufacture of tea;

(r) "Packet tea" means tea packed in unit packs or containers of type as are ordinarily put up for the purpose of retail sale under a brand name;

(s) "Tea bag" means packet containing tea in bags made of filter-paper, nylon net and/or any other acceptable material conforming to international norms and standards, for brewing of tea liquor by direct immersion of such bag in hot or cold water, and commercially known as tea bag;

(t) "Green tea" means the variety of manufactured tea commercially known as green tea;

(u) "Quick brewing black tea" means a product known commercially as tea, containing not less than 20% (maximum) extract and/or concentrate of tea with not more than 80% (maximum) manufactured tea in black form and conforming to the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 specifications used for brewing tea liquor in hot or cold water;

- (v) "Instant tea" means a product derived from the aqueous extract of tea, tea waste and tea leaf and commercially known as instant tea;
- (w) "Registered buyer" means a buyer registered under paragraph 1 of this Order;
- (x) "Broker" means any person, firm, company, corporate body, cooperative society etc., engaged in the business of brokering in tea through the licensed auction systems and is licensed under paragraphs 10, 11, 12, 14 and 15 of this Order;
- (y) "Made Tea" means tea which conforms to specifications for the tea as laid down under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Act 37 of 1954) or any other law for the time being in force.

3. Registration of manufacturer of tea - (1) No manufacturer shall carry on the activities of manufacturing tea after sixty days of the publication of this order in the Official Gazette except under a valid registration obtained under this Order in respect of each factory owned or controlled by him:

Provided that the manufacturer who has already obtained registration under the provision of Tea (Marketing) Control Order, 1984 shall be deemed to have been registered under the provision of this Order and they should intimate the Tea Board accordingly.

- (2) Every person desiring to obtain a certificate of registration shall make an application to the registering authority in Form "A".
- (3) The registering authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to grant a registration to an applicant and shall furnish him with a copy of the order so passed:

Provided that before passing an order of refusal, an opportunity of being heard shall also be granted to the applicant.

- (4) Where an application for registration is not refused under sub-paragraph (3), the registering authority shall grant the applicant a certificate of registration within fifteen working days from the date of receipt of the application in Form 'B'.

4. Registration of buyer of tea - (1) No person shall carry on the activities of buying tea from any public tea auction licensed by Tea Board or directly from manufacturer of tea after sixty days of the publication of this order in the Official Gazette except under a valid registration obtained under this Order.

(2) Every person desiring to obtain Certificate of registration shall make an application to the Registering Authority in Form 'C'.

(3) The Registering Authority may for reasons to be recorded in writing refuse to grant registration to an applicant. It shall furnish him with a copy of the Order so passed:

Provided that before passing an order of refusal, an opportunity of being heard shall also be granted to the applicant.

(4) Where an application for registration is not refused under Sub-paragraph (3), the Registering Authority shall grant the applicant a Certificate of Registration in Form 'D' within seven working days of receipt of application.

5. Cancellation/Suspension of Registration of manufacturer-(1) The registering authority may, after giving the manufacturer an opportunity of being heard, cancel or suspend the registration on any of the one or more of the following grounds, namely :-

- (a) Closure of business by the manufacturer;
- (b) Misrepresentation of any material fact by the manufacturers at the time of obtaining registration or subsequently;
- (c) Violation by the manufacturer of any of the provisions of the Act or this Order;
- (d) Failure to carry out any of the directions issued by the registering authority;
- (e) If the Registering Authority after causing due enquiry has reason to believe that the manufacturer is involved in the adulteration of tea with tea waste and/or any matter and that the tea does not conform to the specifications laid down under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 or any other law for the time being in force;
- (f) If the Registering Authority has reason to believe that the factory building, machinery or equipment or manner of operation of any tea factory is not of a standard and capacity conducive to the manufacture of made tea conforming to the norms and standards, applicable from time to time.

(2) Every order suspending/cancelling a registration shall be in writing and shall specify the reasons for such suspension/cancellation and shall be communicated to the registered manufacturer forthwith or within seven working days of the passing of such order.

6. Cancellation/ Suspension of registration of Buyer - (1) The Registering Authority may, after giving the buyer an opportunity of being heard, cancel or suspend the Registration on any one or more of the following grounds, namely :-

- (a) Closure of the business of the buyer;

- (b) Misrepresentation of any material fact by buyer at the time of obtaining registration or subsequently;
- (c) Violation of any of the provisions of the Act or this Order;
- (d) Failure to carry out any direction of Registering Authority;
- (e) If the Registering Authority has reason to believe that the buyer is indulging in unfair trade practices which may adversely affect the marketing system including the public tea auction system.

(2) Every order suspending/cancelling a registration shall be in writing and shall specify the reasons for such suspension/cancellation and shall be communicated to the registered buyer forthwith or within seven working days of the passing of such order.

7. Monthly Returns – (1) Every registered manufacturer shall furnish to the Registering Authority a monthly return in Form 'E' and such other information as the Registering Authority may, by special or general order call for from time to time.

(2) Every Registered Buyer shall furnish to the Registering Authority monthly returns in Form 'F', and such other information as the Registering Authority may by special or general order call for from time to time.

8. Maintenance of Records – (1) Every Registered Manufacturer engaged in purchasing tea leaves from other growers shall maintain records as determined by the Registering Authority from time to time and shall furnish to the officer authorised by Registering Authority all such information as the authorised officer may by special or general order call for from time to time.

(2) Every licensed broker/organiser of auction shall furnish to the Licensing Authority any return in the manner as may be specified and such other information as the Licensing Authority may by special or general order call for from time to time.

9. Organiser of Tea Auction to obtain a licence – No organiser of tea auction shall carry on the business of organising, holding or conducting public tea auctions under its control or auspices except under a licence obtained in accordance with the provisions of this Order:

Provided that the organiser of the auction who has already obtained licence under the provisions of the Tea (Marketing) Control Order, 1984 shall be deemed to have obtained licence under the provisions of this Order and they shall intimate the Tea Board accordingly.

10. Broker in tea Auction to obtain licence - No person shall carry on the business of a broker of tea in public tea auctions except under a licence obtained in accordance with the provisions of this Order:

Provided that the broker who has already obtained licence under the provisions of the Tea (Marketing) Control Order, 1984 shall be deemed to have obtained licence under the provisions of this Order and they shall intimate the Tea Board accordingly.

11. Application for Licence - Every application for a licence referred to in paragraphs 9 and 10 shall be submitted to the Licensing Authority in Form 'G'.

12. Grant or Refusal of licence - (1) The Licensing Authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to issue a licence to an applicant and shall furnish him with a copy of the order so passed:

Provided that before passing an order of refusal, an opportunity of being heard shall also be granted to the applicant.

- (2) Where an application for licence is not refused under paragraph 12(1) above, the Licensing Authority shall issue him a licence in Form 'H'.
- (3) Every applicant for a licence for carrying on the business of an organiser of public tea auction shall, along with his application for a licence submit to the Licensing Authority :
 - (i) the rules (by whatever name called) which would govern the activities/function of the organiser;
 - (ii) the names, addresses of the members of its managing committee (by whatever name called);
 - (iii) the names, designations and addresses of persons authorised to authenticate the decisions of such managing committee;
 - (iv) the auction rules, (by whatever name called), which would govern the conduct of such public tea auctions held under its control or auspices;
 - (v) the names and addresses of the brokers associated with such public tea auctions; and
 - (vi) such other particulars as the Licensing Authority may, from time to time, call for.

13. Issue of direction - (1) The Licensing Authority at any time during the valid period of licence may issue directions to the organiser of tea auctions/brokers either individually or collectively :-

- (a) if the licensing authority has reason to believe that an organiser of tea auction is indulging in or is likely to indulge in malpractices in the conduct of or in relation to the public tea auction held under its control or auspices or;
- (b) for improving the efficiency of the public tea auction system or;
- (c) to bring about uniformity in the procedure of public tea auctions held in various parts of the country,

and on receipt of such directions, every organiser of tea auction shall carry out the directions within a period of thirty days from the date of receipt thereof.

(2) Notwithstanding any provision contained in the rules and regulations of the licensed organiser, the directions issued by the Licensing Authority from time to time shall supersede such rules and regulations with immediate effect or within the time as may be specified.

(3) The Registering Authority may from time to time issue directions to registered manufacturers, registered buyers either individually or collectively on any matter connected with the business which are relevant for purposes of carrying out the objects of this order and on receipt of such directions, every registered manufacturer/registered buyer shall carry out the directions within a period as specified by the Registering Authority from time to time.

14. Period of validity of a licence - A licence issued under this Order shall, unless cancelled before, expire on the 31st day of December of the calendar year.

15. Renewal of licence - (1) Every application for renewal thereof by broker or organiser of auctions shall be submitted to the Licensing Authority in Form 'I';

(2) The Licensing Authority may, on an application made to it and subject to the other provisions of this Order, renew a licence and issue a certificate in Form 'J';

(3) Every application for renewal of a licence shall be submitted to the licensing authority not less than thirty days before the date of expiry of the licence except in cases where the licence has been issued on or after 1st day of December of that calendar year.

16. Signing of licence /Registration - Every licence issued or renewed and every certificate of registration granted under this Order shall be signed by the Licensing Authority or the Registering Authority, as the case may be, or by any officer of the Board specifically authorised to do so by the Licensing Authority/Registering Authority.

17. Fees - Every application for the issue of a licence/registration or renewal thereof shall be accompanied by fees as specified below:-

For the issue of licence - Rs. 5000/-
 For Registration - Rs. 5000/-
 For Renewal of licence - Rs. 1000/-

18. Conditions of licence- (1) Every licence issued or renewed under this Order shall be deemed to have been granted or renewed in favour of the person named therein and no licence shall be sold or otherwise transferred;

(2) If a licensee enters into a partnership with regard to the business covered by his licence, he shall bring the matter to the notice of the Licensing Authority within fifteen days of entering into such partnership and shall get the licence suitably amended;

(3) Where a partnership is entered into, all the partners in the firm as well as the original licensee shall be bound by the conditions of the licence;

(4) If a partnership is dissolved, every person who is a partner immediately before the date of such dissolution shall send a report of such dissolution to the Licensing Authority within fifteen days thereof;

(5) Every licensee shall produce his licence for inspection on demand by an officer of the Board duly authorised by the Licensing Authority in this behalf;

(6) If, during the currency of a licence, the licensee intends to take any action which calls for modifications in the particulars furnished in the application on the basis of which the licence for the time being in force has been issued, he shall bring to the notice of the Licensing Authority at least fifteen days in advance and get his licence suitably amended and such amendment to the licence shall be made free of any charge and the amended licence shall be valid for the rest of the period covered by the licence;

(7) No owner of a warehouse licensed under the Tea Warehousing (Licensing) Order, 1989 shall enter into any transaction with;

- (a) a manufacturer/buyer who is required to be registered under this Order, but has not so registered, or whose registration has ceased to be valid ; or
- (b) a broker or organiser of a public tea auction who is required to obtain a licence under this Order but has not done so, or whose licence has ceased to be valid.

(8) No broker shall enter into any transaction in tea with any manufacturer/buyer required to be registered under this Order but has not so registered, or whose registration has ceased to be valid;

(9) No broker shall participate in a public tea auction conducted by or held under the control or auspices of an organiser of tea auction who under the provisions of this Order, is required to obtain a licence but has not obtained such a licence, or whose licence has ceased to be valid;

(10) No organiser of public tea auction shall allow teas from any unregistered manufacturer to be put in public tea auction held under its control or auspices or allow any unlicensed broker/unregistered buyer to carry on the business of public tea auctions held under its control or auspices.

19. Cancellation/Suspension of a Licence -(1) The Licensing Authority may, after giving a licensee (organiser of tea auction/broker) an opportunity of being heard, cancel or suspend a licence on any one or more of the following grounds, namely :-

- (a) Closure of business by the broker;
- (b) Willful refusal to conduct any auction sale by the organiser of auction;

- (c) Misrepresentation of any material fact by the applicant at the time of obtaining licence or subsequently;
- (d) Violation by the Licensee of any of the provisions of the Act or of this Order;
- (e) Failure to carry out the direction of Licensing Authority with respect to the rules for conduct of auction within the period as specified by the Licensing Authority;
- (f) Failure to carry out the direction of Licensing Authority with respect to the rules and regulations of the auction organiser in relation to its membership, composition of governing body, election of members of governing body, voting procedure and voting rights of the members, financial and administrative matters etc.;
- (g) If the Licensing Authority has reason to believe that the building or equipment or manner of operation of any brokering firm is not of the standard conforming to the guidelines/norms stipulated by the Licensing Authority.

(2) Every Order suspending/cancelling a licence shall be in writing and shall specify the reasons for such suspension/cancellation and shall be communicated to the licensee forthwith or within seven working days of the passing of such Order.

20. Maintenance, Submission of accounts, etc. by licensee -The Registering Authority/Licensing Authority may, from time to time issue directions to any registered manufacturer, registered buyer, licensed organiser of tea auctions, broker as regards:-

- (a) the maintenance of records of production, purchase/sale, stocks, exports or other matters connected with his business which are relevant for purposes of carrying out the objects of this Order;
- (b) the form and manner in which such records shall be maintained ; and
- (c) the submission for inspection to the officer concerned such books of account relating to his business as may be specified in the direction.

21. Sale of tea through public auctions – (1) Every registered manufacturer, as specified by a direction of the Registering Authority, shall, from the date of commencement of this Order, sell such percentage as may be specified from time to time by the Registering Authority, of tea manufactured by him in a calendar year or such period as may be specified in the direction, through public tea auctions in India, held under the control or auspices of organisers of tea auction licensed to do so under the provisions of this Order:

Provided that such percentage is specified by the registering authority with the prior approval of the Central Government :

Provided further that the Registering Authority may, on an application submitted by a registered manufacturer, if satisfied that in enforcing compliance with any of the provisions of this

Order undue hardship would result to any manufacturer, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this Order.

(2) Any tea marketed directly by the manufacturer in the form of:-

- (a) packet tea ;
- (b) instant tea ;
- (c) tea bags ;
- (d) aromatic tea ;
- (e) green tea ;
- (f) tea exported *directly by manufacturers except tea sold through auctions abroad*;
- (g) Quick brewing black tea ; and
- (h) Organic tea;

Shall be excluded while computing the total production for purpose of this Paragraph of this Order.

22. Purchase of Tea by Buyer – (1) Every registered buyer shall, on and from the date of commencement of this Order, buy such percentage of his total purchase of tea as may be directed from time to time by the Registering Authority in any calendar year through public tea auctions in India :

Provided that such percentage is specified by the Registering Authority with the prior approval of the Central Government :

Provided further that the Registering Authority may, on an application submitted by a registered buyer, if satisfied that in enforcing compliance with any of the provisions of this Order undue hardship would result to any buyer, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this Order.

(2) Any tea purchased directly by the buyer in the form of:-

- (a) packet tea ;
- (b) instant tea ;
- (c) tea bags ;
- (d) aromatic tea ;
- (e) green tea ;
- (f) Quick brewing black tea ; and
- (g) Organic tea;

Shall be excluded while computing the total purchase for purpose of this Paragraph of this Order.

23. Sale of Tea outside public auction - Every registered manufacturer who sells teas outside the auction system shall do so only to registered buyers and details of such sale shall be intimated to the Registering Authority within fifteen working days of the conclusion of such sale.

24. Appeal - Any person aggrieved by an order :-

- (a) refusing the grant or cancelling/suspending of registration;
- (b) refusing the issue or renewal of a licence; or
- (c) cancelling/suspending a licence,

may within a period of three months from the date of receipt of such Order, appeal to the Central Government and the Central Government may, after making such inquiry as it may think fit, confirm, reverse or modify such Order.

25. Constitution of committee on tea marketing - The Central Government may by notification in the Official Gazette constitute a Committee from time to time to advise the Central Government on matters relating to the implementation of this Order and may refer any question relating thereto for the Committee's advice.

26. Service of orders and directions - (1) Any order or direction made by the Registering Authority or Licensing Authority under this Order shall either be notified in the Official Gazette or be served on individual/Company or any other entity viz., organiser of tea auction, tea broker, manufacturer of tea, buyer of tea etc.;

(2) In case, an Order or direction is served on an individual/Company or any other entity, it shall be by delivering or tendering it to that individual/Company or any other entity;

(3) In case, if it can not be so delivered or tendered, it shall be by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that individual/Company or any other entity, lives or carries on business or personally works for gain and written report thereof shall be prepared and witnessed by at least two persons living in the neighbourhood.

27. Power of Entry etc. - (1) The Registering Authority, the Licensing Authority or any officer of the Board specifically authorised in this behalf in writing by the authority, may enter and search at any time any land, building, premises or vehicles in which the Registering Authority/ Licensing Authority has reason to believe that tea is stored, carried, distributed or sold in contravention of the provisions of this Order and seize any tea or product of tea which appears to him to be stored, carried distributed or sold in contravention of the provisions of this Order;

(2) any officer taking action under this clause shall submit a report to the Registering Authority or the Licensing Authority, as the case may be, within twenty-four hours of taking such action;

(3) The provision of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1973), relating to search and seizure shall, so far as may apply to every search or seizure made under this Order.

28. Adherence to the Standard of Tea by manufacturers/buyers – (1) No manufacturer shall manufacture tea which does not conform to specification as laid down under the Prevention of Food Adulteration Act 1954 as amended from time to time or any other rules for the time being in force.

(2) No buyer shall deal in the buying and/or selling of tea which does not conform to specifications for tea as laid down under the Prevention of Food Adulteration Act 1954 as amended from time to time or any other rules for the time being in force.

29. Drawing of Sample – The Licensing Authority/Registering Authority may authorise an officer of the Board not below the rank of Executive Director to take any sample of not more than 125 grams in weight per set in 3 sets, duly sealed and signed by the said officer and the representatives of the owner concerned and any other two witnesses, drawn from any stock held by the manufacturer/buyer to check whether the sample taken conforms to specifications as laid down under the Prevention of Food Adulteration Act 1954 as amended from time to time or any other rules for the time being in force.

30. Determination of Reasonable Price and its compliance – (1) Whenever considered necessary, any officer specially empowered by the Registering Authority, shall determine the reasonable price of tea leaves payable to the tea growers on a periodical basis;

(2) The reasonable price for tea leaves shall be determined according to the formula to be specified by the Registering Authority from time to time and implemented in a manner as determined by the Registering Authority;

(3) Registering Authority may direct any broker, through whom the manufacturer has sold any made tea, to deduct from the proceeds of such sale an amount equivalent to the difference between the reasonable price of tea leaves as determined by the Registering Authority or by any officer authorised by the Registering Authority and the actual price paid by such manufacturer for the tea leaves bought by him.

(4) Registering Authority may direct any broker, through whom the manufacturer has sold any made tea and has delayed the payment of the reasonable price for tea leaves, to deduct from the sale proceeds of such sale an amount equivalent to the reasonable price determined by the Registering Authority or by any officer authorised by the Registering Authority for such tea leaves.

(5) Registering Authority may direct any broker to remit the sum so deducted under sub-paragraphs (3) and (4) of this paragraph of this order in a manner and to the person as specified by the authorised officer.

(6) The Officer, specially empowered by the Registering Authority in determining the reasonable price for tea leaves on the basis of the formula indicated in sub paragraph (1) and (2) of this paragraph of this Order shall also ensure the compliance of the payment of reasonable price for tea leaves as per sub-paragraphs (3), (4) and (5) of this paragraph of this Order.

31. Delegation of Powers of the Registering/Licensing Authority – The Registering/Licensing Authority may, by special order, delegate any of his function to one or more officers of the Tea Board, with the prior approval of the Central Government.

FORM - 'A'
(SEE PARAGRAPH 3(2))

**APPLICATION FOR REGISTRATION UNDER PARAGRAPH 3(2)
OF TEA (MARKETING) CONTROL ORDER, 2003.**

ORIGINAL /DUPLICATE.

To
The Registering Authority
Tea Board
Kolkata.

Sir,

I/We hereby apply for registration as a manufacturer of tea for purposes of the Tea (Marketing) Control Order, 2003.

Necessary particulars are furnished below:

- (a) Name of the applicant (in Block Letters), (in the case of partnership concern the names of all the partners should be given):
- (b) Full address to which correspondence is to be sent.
- (c) Names and address of the manufacturing units.
- (d) State and Plantation district.
- (e) Whether the unit processes tea grown in its own gardens.
- (f) Whether the unit is a bought leaf factory or a co-operative unit not having an estate of its own.
- (g) Annual capacity for production
- (h) If registered as a factory with State Government Registration No. and Date.
- (i) Central Excise Zone and Registration No.
- (j) Specify the type of tea manufactured
 - a) Packet tea
 - b) Tea Bags
 - c) Instant tea
 - d) Quick Brewing Black tea.
 - e) any other tea.

Yours faithfully,

Signature of the applicant.

Place:
Date:

F O R M –‘B’**(SEE PARAGRAPH 3(4))**

Certificate of registration for carrying on business as Manufacturer of Tea.

NOT transferable.

Issued under paragraph 3 (4) of the Tea (Marketing) Control Order , 2003.

14, BIPLABI TRAILOKYA MAHARAJ SARANI
KOLKATA- 700 001.

Date :

Certificate of Registration No.....

Shri/Sarbashriof.....

is/are hereby authorised to carry on the business of manufacturer of packet tea/tea bags/instant tea/flavoured tea/quick brewing black tea/any other tea under the provisions of Tea (Marketing) Control Order, 2003.

This certificate shall continue to be valid until cancelled/suspended by the registering authority under paragraph 5 of the Tea (Marketing) Control Order, 2003.

CHAIRMAN

TEA BOARD

Registering Authority

F O R M - C

To

**The Registering Authority,
Tea Board,
Kolkata.**

Sir,

I/We hereby apply for registration as a buyer of tea under paragraph 4 (2) of the Tea (Marketing) Control Order, 2003

Necessary particulars are furnished below :

- i) Name of the applicant (in block letters), (in case of partnership concern the names of all the partners should be given) :
- ii) Address of the Registered Office :
- iii) Addresses of branch offices, if any :
- iv) Mailing address including telephone/fax/e-mail :
- v) Central & State Sales Tax Regn. Nos. :
- vi) Whether member of any auction organizer;
If so, Name(s) of the same :
- vii) Specify the type of tea :
 - a) Tea in bulk
 - b) Packet tea
 - c) Tea Bags
 - d) Instant Tea
 - e) Quick Brewing Black Tea
 - f) Any other tea.

I/We have carefully read and understood Tea (Marketing) Control Order, 2003 and hereby agree to abide by the provisions of said Order.

Yours faithfully,

Signature of the Applicant

Place :

Date :

F O R M - D

Certificate of registration for carrying on business as Buyer of Tea.

Non-transferable.

Issued under paragraph 4 (4) of the Tea (Marketing) Control Order, 2003.

**14, Biplabi Trailokya Maharaj Sarani,
Kolkata – 700 001.**

Date :

Certificate of Registration No.....

Shri/Sarbashri.....

of..... is/are hereby

**authorised to carry on the business of buyer of tea in bulk/packet tea/tea
bags/instant tea/quick brewing black tea/any other tea under the provision of the**

Tea (Marketing) Control Order, 2003.

**This certificate shall continue to be valid until cancelled by the Registering
Authority under paragraph 6 of the Tea (Marketing) Control
Order, 2003.**

**CHAIRMAN
TEA BOARD OF INDIA
REGISTERING AUTHORITY**

FORM - E

(See Paragraph 7(1))

Monthly return to be submitted by the manufacturer

Return form the month of

1. Name of the Manufacturing Unit :
2. Address :
3. Name of the Co. owning the Mfg. Unit :
4. Tea Board's Regn. No. under TMCO. :
5. Plantation District :
6. State :
7. Central Excise Control Code/Regn.No. :
8. Central Excise Zone
9. Tea Waste Lic. No. under TWCO :
10. Name of Producer Assocn. Member of and Membership No., if any. :
11. Whether Estate or Bought-leaf (including Co-operative) Factory
12. Opening Stock of Made Tea (in Kgs) lying in the factory premises in loose form as well as in the form of consumer packs :

Type Of Tea	C.T.C.	Orthodox	Green	Organic	Total
Loose					
packets					

13. Green leaf particulars (figures in Kgs.) during the month :

Quantity sourced from own garden	Quantity purchased from outside	Total quantity procured	Quantity used for manufacture of tea

14. Average leaf price per Kg., paid for the month (in respect of Bought-leaf):

15. Quantity of teas (in Th.Kgs.) manufactured during the month (out of total Green Leaves which is inclusive of garden own leaves as well as purchased leaves) :

During Month.....				Up-to (January to)			
C.T.C.	Orthodox	Green	Total	C.T.C.	Orthodox	Green	Total

16. Quantity of tea manufactured in consumer packs (Kgs) during the month:

During Month.....				Up-to (January to)			
C.T.C.	Orthodox	Green	Total	C.T.C.	Orthodox	Green	Total

17. Particulars of Tea Waste (figures in Kgs) :

Opening balance	Quantity generated during the month	Quantity disposed of during the month	Closing balance

18. Excise Duty paid : Rate per Kg Total amount paid

19. Cess paid under Tea Act, 1953. : Rate per Kg Total amount paid

20. Sale of un-denatured Tea Waste (figures in Kgs) :

Quantity sold	Date	Tea Board Authority, letter Number and date	Names of the buyers and their Tea Waste Licence Number

21. Denaturing of Tea Waste (figures in Kgs) :

Quantity denatured	Date	Tea Board Authority, letter Number and date	Name and Designation of official before whom performed.

22. Sale of denatured Tea Waste (figures in Kgs) :

Quantity sold	Date	Names of the buyers

23. Conversion of Tea Waste as compost (figures in Kgs) :

Quantity	Date	Tea Board Authority, letter Number and date	Name and Designation of official before whom performed.

24. Destruction of Tea Waste (figures in Kgs.) :

Quantity	Date	Tea Board Authority, letter Number and date	Name and Designation of official before whom performed.

25. Sales during the month :

(A) Through Auctions :

Name of auction Centre	Quantity sold (In Kgs.)				
	CTC	Orthodox	Green Tea	Others (Specify)	Total
Kolkata					
Guwahati					
Siliguri					
Amritsar					
Cochin					
Coonoor					
Coimbatore					
Others (Specify)					
TOTAL					

Name of auction Centre	Price realized (in Rs. Per Kg)					
	CTC Leaf	CTC Dust	Orthodox Leaf	Orthodox Dust	Green Tea	Other Tea (Specify)
Kolkata						
Guwahati						
Siliguri						
Amritsar						
Cochin						
Coonoor						
Coimbatore						
Others (Specify)						
TOTAL						

(B) Direct Exports :

Type of tea	During the month	
	Quantity (in Kgs)	Price realized (in Per Kg)
Loose Tea		
Packet Tea		
Tea Bags		

(C) Private Sales ** :

Type of tea	During the month	
	Quantity (in Kgs)	Price realized (in Rs. Per Kg)
Loose Tea		
Packet Tea		
Tea Bags		

(D) Direct marketing in consumer packs:

Type of tea	During the month	
	Quantity (in Kgs)	Price realized (in Per Kg)
Loose Tea		
Packet Tea		
Tea Bags		

GRAND TOTAL OF QUANTITY SOLD (A+B+C+D) :

(E) Gift to employees (In Kgs.)

26.. Closing / unsold Stock at the end of the months (In Kgs.):

Type of Tea	C.T.C.	Orthodox	Green Tea	Others (Specify)	TOTAL
Loose					
Packet					
Tea Bag					

DECLARATION

I/We hereby certify that the information including figures given in the above return is correct and that they can be verified from the records.

Signature

AUTHORISED REPRESENTATIVE.

Place :

Date :

** A list indicating the names and addresses of persons to whom the tea was sold ex-factory during the month under reference including the quantity sold and average prices realized in respect of each person shall be attached.

FORM - F
(See Paragraph 7(2))
Monthly return to be submitted by the Buyer

Return for the month of

1. Name of the Firm :
2. Address of Regd. Office with Telephone / Fax No/E-mail :
- 2.a) Addresses of Branch Offices :
3. Whether Member of Auction Committees and if so, name of the centres :
4. Tea Board's Regn. No. under TMCO if any. :
5. Opening Stock of Tea (in Kgs) lying in the godown in loose form as well as in the form of consumer packs at the beginning of the month :

Type of Tea	(Figures in kgs.)					
	C.T.C	Orthodox	Darjeeling	Green	Others	Total
Loose						
Packets						
Tea Bags						

6. Quantity (in kgs.) and Avg. Price (Rs./Kg) of teas purchased during the month under reference * :

Type of Tea	(Figures in kgs.)											
	C.T.C		Orthodox		Darjeeling		Green		Others		Total	
Loose	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price
Packets												
Tea Bags												

7. Quantity (kgs.) of tea converted into Packet tea and Tea Bags during the month:

Type of Tea	During Month.....					
	C.T.C.		Orthodox		Green	Total
Packets						
Tea Bags						

8. Marketing of Tea during the month :

(A) Domestic Sale :

Type of tea	During the month	
	Quantity (in kgs)	Price realized (in Per Kg)
Loose Tea		
Packet Tea		
Tea Bags		

(B) Export :

Type of tea	During the month		
	Quantity (Kgs)	Value (in Rs.)	Unit (Rs/Kg)
Loose Tea			
Packet Tea			
Tea Bags			

9. Closing/unsold Stock at the end of the months (In kgs.):

Type of T	C.T.C.	Orthod	Green Tea	TOTAL
Loose				
Packet				
Tea Bags				

DECLARATION

I/We hereby certify that the information including figures given in the above return are correct and that they can be verified from the records.

Signature

AUTORISED REPRESENTATIVE.

Place

Date

* A list indicating the names and addresses of Tea Estates/Bought-leaf Factories from whom the tea was purchased outside auctions during the month under reference including the quantity purchased in and average prices realized in respect of each Estate/Factory shall be attached.

FORM - G
(SEE PARAGRAPH 11)

**APPLICATION FOR LICENCE UNDER PARAGRAPH 11
 OF TEA (MARKETING) CONTROL ORDER, 2003.**

ORIGINAL /DUPLICATE.

To
 The Licensing Authority
 Tea Board
 Kolkata.

Sir,

I/We* hereby apply for a licence to carry on the business in tea as

BROKER INTEA AUCTIONS/ORGANISERS OF TEA AUCTION

I/We* furnish the necessary particulars below :

1. Name of the applicant (in block letters), (in the case of partnership concern, the names of all the partners should be given) :
2. Full address (to which correspondence is to be sent) :
3. Nature of Licence is required – licence as : **Broker in Tea Auction/Organisers of Tea Auction :**
4. Full address of the premises in which the applicant intends to do business :
5. Amount of fee paid :

I/We* have carefully read and understood the Tea (Marketing) Control Order, 2003 hereby agree to abide by the provisions of the said Order.

Yours faithfully,

Signature(s) of the Applicant (s).

Place:
 Date:

*Score out the words not applicable.

Note : 1 – This application should be signed, in the case of a company, by the Secretary or an authorised agent of the company and in the case of a partnership concern, by one of the partners and in the case of individuals, the words 'Sole Proprietor' shall be appended after signature.

Note : 2 - The application shall be submitted to the Licensing Authority in Duplicate.

FORM - H**(SEE PARAGRAPH 12 (2))**

Licence for carrying on business as : **BROKER IN TEA AUCTIONS/ORGANISERS OF TEA AUCTIONS.**

NOT TRANSFERABLE

ISSUED UNDER CLAUSE 12(2) OF THE TEA (MARKETING) CONTROL ORDER, 2003.

**14, Biplabi Trailokya Maharaj Sarani,
Kolkata – 700 001.**

Date :**LICENCE No.**

Shri/Sarbashri.....

of..... is/are* hereby
authorised to carry on the business as broker in public tea auction/organisers of
tea auctions in terms of the Tea (Marketing) Control Order, 2003.

This licence is valid up-to and including 31st December ----- unless
suspended before that date under paragraph 19 of the Tea (Marketing) Control
Order, 2003.

**CHAIRMAN
TEA BOARD OF INDIA
REGISTERING AUTHORITY**

(*Scored out the words not applicable)

FORM - I
(SEE PARAGRAPH 15 (1))

**APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE UNDER PARAGRAPH 15 (1) OF TEA
 (MARKETING) CONTROL ORDER, 2003.**

ORIGINAL /DUPLICATE.

To
 The Licensing Authority
 Tea Board
 Kolkata.

Sir,

I/We* hereby apply for a the renewal of my/our* licence as Brokers/Tea Auction Organisers Licence No. dated issued by you.

I/We* furnish the necessary particulars below :

1. Name of the applicant (in block letters), (in the case of partnership concern, the names of all the partners should be given) :
2. Full address (to which correspondence is to be sent) ;
3. Nature of Licence is required : **BROKER /ORGANISERS OF AUCTIONS :**
4. Full address of the various premises, if any, in which the applicant intends to do business :
5. Amount of fees paid :

I/We* have carefully read and understood the Tea (Marketing) Control Order, 2003 and hereby agree to abide by the provisions of the said Order.

Yours faithfully,

Signature(s) of the Applicant (s).

Place:

Date:

*Strike out whichever is not applicable.

NOTE : to be sent to the licensing authority in Duplicate.

2 This application should be signed, in the case of companies, by the Secretary or an authorised agent, and in the case of a partnership concerns, by one of the authorised partners and in the case of individuals, the words 'Sole Proprietor' shall be appended after signature and in any other case, should be signed by an authorised person.

FORM - J

(SEE PARAGRAPH 15 (2))

CERTIFICATE OF RENEWAL OF LICENCE**TEA BOARD****14, BIPLABI TRAILOKYA MAHARAJ SARANI,
KOLKATA - 700 001.**

Certified that the licence No., Issued on
to..... carry on the business in tea as a Broker/Organisers of Auctions.
in terms of Tea (Marketing) Control Order, 2003 is hereby renewed until 31st
December.....unless previously suspended before the date under the paragraph 19 of
the Tea (Marketing) Control Order, 2003.

Licensing Authority**Date :****Place :**

[F. No. T-12014/1/2002-Plant(A)]
L.V. SAPTHARISHI, Addl. Secy